संख्या-95/2017/478ई/23-11-2017-668ई/2011

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिये उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक/सदस्य(वित्त), उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक-058/लेखा-10/बजट/2016-17/उपशा/लखनऊ, दिनांक 10-04-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लेखाशीर्षक-3054 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को सहायता के मद में प्रथम पांच माह के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 135.85 लाख (रू0 एक करोड़ पैतीस लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय प्राधिकरण के अधिनियम के प्राविधानों तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा तथा वित्त विभाग के आदेश/वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के प्राविधानों का भी अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। धनराशि आहरित करके बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खातें में नहीं रखी जायेगी।

(3) आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी तथा लेखों का मिलान महालेखाकार के खाते से किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-03-राजकीय राजमार्ग-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को सहायता-0301-राज्य मार्गो का अनुरक्षण-31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02-01-2017 एवं पत्र सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20-03-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-95/2017/478ई(1)/23-11-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सदस्य, वित्त उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
7- लोक निर्माण अनुभाग-10
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in